बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं०– 04/2015, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन), बिहार के अन्तर्गत बिहार पशु चिकित्सा सेवा (मूल कोटि) के 389 + 514 + 74 (बैकलॉग) = **कुल 977** (नौ सौ सतहत्तर) रिक्त पदों पर वेतनमान 9300–34800/– (पे बैण्ड–2), ग्रेड पे–5400/– में नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते है। इन रिक्त 977 पदों में से अनारक्षित को 357, अनुसूचित जाति को 184 + 31 (बैकलॉग) = कुल 215 (दो सौ पन्द्रह), अनुसूचित जनजाति को 03, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 231 + 36 (बैकलॉग) = कुल 267 (दो सौ सढ़सठ), पिछड़ा वर्ग को 82 एवं पिछड़े वर्ग की महिला को 46 + 07 (बैकलॉग) = कुल 53 (तिरपन) पद अनुमान्य हैं। इन अनुमान्य पदों में से विकलांग को भी तीन प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

2. ***अपेक्षित योग्यता*** :– (i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी॰भी॰एससी॰ एण्ड ए॰एच॰ (B.V. Sc. & A.H.) की डिग्री तथा छः माह का इन्टर्नशिप प्रशिक्षण अनिवार्य है।
   (ii) अभ्यर्थी को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अथवा उसके अधीन गठित अन्य राज्य पशु चिकित्सा परिषद् अथवा बिहार पशु चिकित्सा परिषद् से स्थायी रूप से निबंधित होना चाहिए।
   (iii) बिहार सरकार के अधीन किसी सरकारी अस्पताल में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त पशु चिकित्सकों को कार्यानुभव के लिए अधिमानता दी जा सकेगी।

3. **उम्र सीमा**– दिनांक 01.08.2015 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम, अनारक्षित (पुरूष)–37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग (पुरूष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला–40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42 वर्ष।
   (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 212, दिनांक 23.01.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में इन पदों के लिए पूर्व वर्ष के अंतिम विज्ञापन में कट ऑफ डेट के आधार पर उक्त विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया जाना आवश्यक है। उक्त प्रावधान के अनुसार किसी भी पद के लिए अंतिम विज्ञापन जिस वर्ष में प्रकाशित हुआ है तथा उसके ठीक बाद अगले वर्ष में विज्ञापन प्रकाशित होने पर जो उम्मीदवार अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर उस पद के लिए योग्य होते, लेकिन उस पद का विज्ञापन नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में वैसे उम्मीदवार अंतिम विज्ञापन के ठीक अगले वर्ष के विज्ञापन के समय अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे। उक्त पद का विज्ञापन वर्ष 2004 में हुआ था। इस आलोक में उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए दिनांक 01.08.2005 को जो उम्मीदवार, अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे और अन्य अहर्ताएं पूरी करते है, वे इस परीक्षा के लिए भी योग्य पात्र होंगे।
   (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 2374, दिनांक– 16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।
   (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांग को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षो की छूट अनुमान्य है।
   (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

4. ***चयन प्रक्रिया*** :– सामान्य संवर्ग में नियुक्ति हेतु चिकित्सकों का चयन उम्मीदवारों के शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेघा सूची के अनुसार किया जाएगा। रिक्ति/रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आरक्षण कोटिवार रिक्ति/रिक्तियों के पाँच गुणा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

   शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के लिए कुल 100 (एक सौ) अंक विनिश्चित किया गया है। इन 100 अंकों का निर्धारण निम्नवत है :–

   (i) बी॰भी॰एससी॰ एण्ड ए॰एच॰ (B.V.Sc. & A.H.) में प्राप्तांक .... कुल 50 अंक
   (ii) स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री .... कुल 05 अंक
   (iii) बिहार सरकार के सरकारी पशु चिकित्सालयों में नियमित नियुक्ति/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति उपरांत कार्यानुभव के लिए अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 04 अंक एवं अधिकतम 20 अंक दिये जा सकते हैं। .... कुल 20 अंक
   (iv) मौखिक साक्षात्कार .... कुल 25 अंक

टिप्पणी– (क) बी॰भी॰एससी॰ एण्ड ए॰एच॰ (B.V.Sc. & A.H.) के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उन्हें 50 × 0.5 = 25 अंक दिये जायेंगे।

(ख) सामान्य संवर्ग में नियुक्ति हेतु विचारण में अभ्यथियों के लिए न्यूनतम अंक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों में निर्धारित अंक के अनुसार होगा।

5. आरक्षणः
   (i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी का आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा मान्य नहीं होगा।
   (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं॰ 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास के अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास के अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।**

6. **शुल्कः** केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25/– (पचीस) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 75/– (पचहत्तर) रूपये तथा बिहार के अन्य कोटि सहित सभी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 100/– (एक सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 150/– (एक सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। उक्त चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करना होगा तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखना है।**

7. **अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।**

8. **अंतिम तिथिः**
   (i) **भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि शुक्रवार, दिनांक 17.04.2015 को अपराह्न 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**
   (ii) **यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।**

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्रविष्टिः
   (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले स्याही के बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसेः–

(i) आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय – | स् | नि | ग् | धा | | |

(ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा – ANIL KUMAR RAM को बाक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :– | A | N | I | L | | K | U | M | A | R | | R | A | M |

(iii) आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से है तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।

(iv) आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।
उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) क्रमांक 8(i) ''शैक्षिक योग्यता'' के अधीन प्राप्तांक, पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 10 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 11 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें, अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

2. फोटोग्राफः

आवेदन–पत्र के पृ॰ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो/आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

3. लिफाफा एवं प्रमाण पत्रः

(i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं॰ एवं पदनाम जिसके लिए आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

(ii) विहित आवेदन पत्र के साथ प्रवेशिका प्रमाण पत्र, बी॰भी॰एससी॰ एण्ड ए॰एच॰ डिग्री प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र, स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र, संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र (जिसमें कार्य करने की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो), स्थायी रूप से निबंधित होने का प्रमाण पत्र, इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र सहित) एवं विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें। कितनी अवधि (वर्ष एवं माह के साथ) तक संविदा पर उक्त कोटि के अन्तर्गत कार्य किया गया है, इससे संबंधित पत्र संलग्न करें।

(iii) 16×10 से॰मी॰ का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 40–40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना